

29/9/20
पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अभियान
महोदय उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
महोदय को 23/9 तारीख रखते हैं
पत्रावली दिनांक 29-9-2020 को पेश हो

7/3/20
पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अभियान
महोदय उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
महोदय को 3/10 तारीख रखते हैं
पत्रावली दिनांक 15-9-2020 को पेश हो

15-9-2020 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित
हैं। तहसीलदार नैनवां से मीका रिपोर्ट तलब
की जाकर पत्रावली दिनांक 24-11-2020 को
पेश हो।

24/11/20
पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अभियान
महोदय उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
महोदय को 23/11/21 तारीख रखते हैं
पत्रावली दिनांक 23/11/21 को पेश हो

23.2.21
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान
पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य
राजकार्य में तशरीफ रखते हैं। पत्रावली दि 24.5.21
को पेश हो

24/5/21
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान
पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य
राजकार्य में तशरीफ रखते हैं। पत्रावली दि 21/9/21
को पेश हो

21/9/21
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान
पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य
राजकार्य में तशरीफ रखते हैं। पत्रावली दि 21/11/21
को पेश हो

12/11/21
पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान
के तहत जेम्प कोर्ट बुढादेवजी में आज
पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस संलग्न
हैं। तहसीलदार नैनवां से शस्ते दिये जाने

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)



सारीक
हुना

हुना या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।
तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार
ग्रामी के खेत ग्राम गुदादेवजी के खेत
1424 में जाने के लिए मीठे पर रास्ता
बहाल है तथा 251'क में रास्ता देने की
आवश्यकता नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, उत्तुत
रिकार्ड इत्यादि, तहसीलदार नैनवां की
रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया।
तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है
कि मीठे पर रास्ता बहाल है अतः अन्य
रास्ता दिमें जाने की आवश्यकता नहीं है।
अतः ग्रामी का प्रार्थना पत्र खारिज
किया जाता है निर्णय खुले न्यायालय
में सुनाया गया। पत्रपत्ती बाद तकमील
दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)